

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZATTE EXTRA ORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

No. F.14(6)/LA/2002/ 373

Dated : 17th April, 2002

The following Act of Legislative Assembly received the assent of the Lt. Governor of Delhi, on the 16th April, 2002 and is hereby published for general information :-

THE APPROPRIATION (NO.2) ACT, 2002
(Delhi Act No. 9 of 2002)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi)

AN
ACT

to authorise payment and appropriation of sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2002-2003.

Be it enacted by the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi in the 53rd year of the Republic of India as follows :-

SHORT TITLE

1. This Act may be called the
Appropriation (No.2) Act, 2002

ISSUE OF

Rs. 9496,23,00,000/-
from and out of the
Consolidated Fund
of the National Capital
Territory of Delhi for
the financial year
2002-2003.

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column(5) of the schedule amounting in the aggregate to the sum of Rupees nine thousand four hundred ninty six crores and twenty three lakhs only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2002-2003, in respect of the services specified in column(2) of the Schedule.

APPROPRIATION


3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated fund of the National Capital Territory of Delhi by this act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said period.

THE SCHEDULE
(See Section 2 and 3)

(Rs. in thousands)

SUMS NOT EXCEEDING

DEMAND NO.	SERVICES AND PURPOSES	Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total	
1	2	3	4	5	
1	Legislature	Revenue	37900	3200	41100
2	General Administration	Revenue	274138	19062	293200
3	Administration of Justice	Revenue	546350	234850	781200
4	Finance	Revenue	601200	0	601200
5	Home	Revenue	718600	1600	720200
		Capital	80000	0	80000
6	Education	Revenue	11660600	2100	11662700
		Capital	257500	0	257500
7	Medical and Public Health	Revenue	5031950	150	5032100
8	Social Welfare	Revenue	1655700	0	1655700
		Capital	9487800	0	9487800
9	Industries	Revenue	432790	500	433290
		Capital	350010	0	350010
10	Development	Revenue	1639385	3625	1643010
		Capital	981490	10400	991890
11	Urban Development and Public Works	Revenue	12863100	0	12863100
		Capital	34325600	500000	34825600
	Public Debt.	Revenue	0	11080400	11080400
		Capital	0	1262300	1262300
12	Loans to Government Servants	Capital	100000	0	100000
13	Pension	Revenue	800000	0	800000
	Total		81844113	13118187	94962300


(ROSHAN LAL)
 Under Secretary (Law, & Judicial)
 (Deptt. of Law, Justice
 & Legislative Affairs)
 8th Level, 'C' Wing, Delhi Secretariat,
 I. P. Estate, New Delhi-110002.

(दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग 4 में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)

क.सं. एफ.14(6)/विधायी कार्य/2002/ 377

दिनांक: 17 अप्रैल, 2002

उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 16 अप्रैल, 2002 को मिली अनुमति के पश्चात विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है:-

विनियोग (संख्या: 2) अधिनियम, 2002

(दिल्ली अधिनियम संख्या: 9 वर्ष, 2002)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा यथा पारित)

एक

अधिनियम

वर्ष 2002-2003 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए विधेयक।

इसे भारतीय संविधान के 53 वें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए।

संक्षिप्त शीर्षक

(1) इस अधिनियम को विनियोग (संख्या 2) अधिनियम 2002 कहा जाए।

9496,23,00,000/-रुपयों का वर्ष 2002-2003 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त

(2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए नौ हजार चार सौ छियानबे करोड़ तेइस लाख रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2002-2003 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी।

विनियोजन

(3) इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची
(खण्ड 2 व 3 देखे)

(रुपये हजारों में)

राशि इससे अधिक नहीं					
मांग संख्या	सेवायें एवं उद्देश्य	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	संचित निधी पर भारित	जोड़	
1	2	3	4	5	
1	विधान मण्डल	राजस्व	37900	3200	41100
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व	274138	19062	293200
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	546350	234850	781200
4	वित्त	राजस्व	601200	0	601200
5	गृह	राजस्व	718600	1600	720200
		पूंजी	80000	0	80000
6	शिक्षा	राजस्व	11660600	2100	11662700
		पूंजी	257500	0	257500
7	चिकित्सा व जन स्वास्थ्य	राजस्व	5031950	150	5032100
8	समाज कल्याण	राजस्व	1655700	0	1655700
		पूंजी	9487800	0	9487800
9	उद्योग	राजस्व	432790	500	433290
		पूंजी	350010	0	350010
10	विकास	राजस्व	1639385	3625	1643010
		पूंजी	981490	10400	991890
11	शहरी विकास एवं लोक निर्माण	राजस्व	12863100	0	12863100
		पूंजी	34325600	500000	34825600
	सार्वजनिक ऋण	राजस्व	0	11080400	11080400
		पूंजी	0	1262300	1262300
12	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	पूंजी	100000	0	100000
13	पेंशन	राजस्व	800000	0	800000
	जोड़		81844113	13118187	94962300

रोशन लाल
(रोशन लाल)

अवर सचिव(विधि एवं न्याय)
(रोशन लाल)

अवर सचिव (विधि एवं न्याय)
(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)
8वाँ तल, "सी" खण्ड, दिल्ली सचिवालय
आई.पी.० एस्टेट, नई दिल्ली-110002.